कार्यालय कलेक्टर (जिला पंचायत शाखा)–जशपुर (छ.ग.)

जशपुर, दिनांकः 01/04/2017

कमांक/ 06 /जि.पं./ह.छ.ग.यो./2017

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

(रूचि की अभिव्यक्ति)

हमर छत्तीसगढ योजनांतर्गत जशपुर जिले के पंचायत/नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को दो दिवसीय रायपुर भ्रमण के लिये रायगढ रेलवे स्टेशन तक पहुचाने एवं वापस लाने के लिए बस किराये पर लिये जाने हेतु बस मालिकों से 04 बस (तीन 52 सीटर एवं एक 40 सीटर बसों) के लिय आवेदन आंमत्रित किये जाते है। इच्छुक बस ट्रेवलर्स द्वारा (जिला पंचायत जशपुर के सूचना फलक मे लगे नियम एवं शर्तो के आधार पर व जिला जशपुर के website www.jashpur.gov.in पर नियम एवं शर्तो को डाउनलोड कर), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर (छ.ग.) के नाम दिनांक 10/04/17 – सायं 5PM बजे तक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

कलेक्टर
जिला जशपुर(छ.ग.)

जशपुर, दिनॉकः 01/04/2017

पृ0कमांक/ 06/A /जि.पं./ह.छ.ग.यो./2017

प्रतिलिपिः–

01. छत्तीसगढ संवाद छोटापारा रायपुर को एक प्रदेश स्तरीय एवं एक जिला स्तरीय समाचार पत्र मे प्रकाशनार्थ।
02. उप संचालक, जनसंपर्क जशपुर को सूचनार्थ एवं उक्ताश्य का समाचार स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
03. श्री अजित कुमार , डी.आई.ओ., NIC जिला जशपुर को उक्त निविदा जिला पंचायत के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
जिला जशपुर(छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (जिला पंचायत शाखा)–जशपुर (छ.ग.)

::निविदा आमंत्रण सूचना::

जशपुर, दिनांक 01/04/2017

क्रमांक/ 04 /जि.पं./हछगयो/2017

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के पत्र कमांक 178 दिनांक 18.05.2016 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत् पंचायत/नगर पंचायत प्रतिनिधियों को दो दिवसीय रायपुर भ्रमण के लिये रायगढ रेलवे स्टेशन तक पहुचाने एवं वापस लाने हेतु बस मालिकों से 04 बस (तीन 52 सीटर एवं एक 40 सीटर बसों) का भावपत्र **दिनांक 10.04.2017 अपरान्ह 05.00 बजे** तक सीलबंद लिफाफे में निम्नांकित शर्तों के अधीन भाव पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1. वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज पूर्ण होना आवश्यक है। टोल टैक्त व अनुमति पत्र का व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किंया. जाएगा एवं वाहन अनुज्ञा पत्र वाहन के साथ रखना अनिवार्य होगा।
2. वाहन से संबंधित वैद्य अभिलेख वाहन मालिक द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. जिस बस को यात्रा हेतु उपलब्ध कराई जाएगी उस बस. का लाईफ सर्टिफिकेट यातायात/अधिकृत विभाग द्वारा जारी किया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यात्रा हेतु वही बसें उपलब्ध कराई जाएगी तो यात्रा हेतु आरामदायक एवं उपयुक्त हो।
5. उलब्ध कराये गए वाहन चालक के पास वाहन चालक का वैद्य अनुज्ञापन होना आवश्यक है। साथ ही वाहन चालक व्यसन मुक्त हो।
6. वाहन मालिक द्वारा वर्ष 2016–17 में आयकर जमा करने का प्रमाण पेन कार्ड के साथ निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
7. बसों के लिए रायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचाने, लाने व हाल्टिंग चार्जेस ही देय होगा।
8. भाव पत्र में बस की दरें प्रति किलोमीटर डीजल सहित तथा हाल्टिंग चार्जेस प्रति घंटा एवं 24 घंटे हेतु एक एकमुश्त दोनों पृथक–पृथक दर्शाया जाना आवश्यक है। भाव पत्र पृथक लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत करना होगा।
9. भाव पत्र के साथ अमानत के रूप में रू. 50000.00(अक्षरी पचास हजार रू.मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत** जशपुर के नाम से देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य है, जो पृथक लिफाफे के अन्दर बंद होगा।
10. निविदा प्रस्तुत लिफाफे के ऊपर **"हमर छत्तीसगढ़ योजना हेतु** बस किराये **का भावपत्र"** अंकित करते हुए **" मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,जशपुर** के पते पर प्रस्तुत करना होगा।
11. योजना अन्तर्गत भ्रमण कार्यक्रम 30 जून 2018 तक रहेगी। प्रत्येक यात्रा समूह में जिले से 160 जनप्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।
12. यात्रा चक्र में कमी करने अथवा यात्रा स्थगित करने का अधिकार शासन के पास सुरक्षित होगा।

13. यात्रा विकास खण्डों के कलस्टर मुख्यालय से प्रारंभ होकर कलस्टर मुख्यालय में समाप्त होगी। अतः यात्रा प्रारंभ तिथि को 04 बसें प्रातः 10.00 बजे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा यथा निर्देशित कलस्टर मुख्यालय में पहुंचाकर बस चालक अपनी उपस्थिति संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास होगा।

14. निर्धारित तिथि 10/4/17 को उपरान्ह 05.00 बजे तक प्राप्त निविदाएं उसी तिथि को ही उपस्थित निविदारकार के समक्ष खोली जावेगी। निविदाकार उक्त समय में उपस्थित रह सकते हैं। यदि किसी निविदाकार द्वारा अमानत राशि का लिफाफा प्रस्तुत नहीं किया है तो भाव पत्र का लिफाफा नहीं खोला जाएगा एवं उन्हें निविदा से पृथक रखा जाएगा।

15. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्त्ता का होगा।

16. यात्रा पश्चात प्रस्तुत देयक में नियमानुसार टीडीएस की कटौति की जाएगी।

कलेक्टर
जिला जशपुर